

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या ::-4/2022

जीवनबाई पिता स्व0 लखमा धाकड निवासी हणुतिया हाल मुकाम पति हीरा
धाकड निवासी बदनपुरा तहसील बेगू
वादीया

बनाम

- 1- प्रभूलाल पिता स्व0 भैरूलाल जाति धाकड निवासी हणुतिया तह0 बेगू
- 2- श्रीमति झमकूबाई पति स्व0 भैरूलाल धाकड निवासी हणुतिया तह0 बेगू
- 3- प्रेमबाई पिता स्व0 भैरूलाल धाकड निवासी हणुतिया तह0 बेगू हा0मु0 पति
श्रामेश्वर धाकड निवासी तुरकडी तह0 बेगू
- 4- लीलाबाई पिता स्व0 भैरूलाल धाकड निवासी हणुतिया तह0 बेगू हा0मु0पति
ननालाल धाकड निवासी बागपाछलीखेडी तह0 बेगू
- 5- सरजूबाई पति प्यारचन्द्र उर्फ प्यारा धाकड निवासी हणुतिया तह0 बेगू
- 6- नन्दूबाई पिता भंवरलाल धाकड निवासी रायती हा0मु0 माता सरजूबाई के पास
निवासी हणुतिया तह0 बेगू
- 7- चतरीबाई पति स्व0 प्यारचन्द्र उर्फ प्यारा धाकड निवासी हणुतिया तह0 बेगू
- 8- श्री भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगू जिला चित्तौडगढ़
- 9- श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय जी चित्तौडगढ़
- 10- श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय आई0सी0आई0सी0 आई0 बैंक शाखा बेगू

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88-89-188-53-183 राज0 काश्त0 अधि0

वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र धाकड की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री एस.एन.माली की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88-89-188-53-183 रा.कस्त.अधि.में आज दिनांक 27.03.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगू के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89-188-53-183 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:-

अतः वादीगण वादपत्र 53.88.89.188.183 राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा हणुतिया प0ह0 रामपुरिया की आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(1) सरजूबाई पत्नि स्व. प्यारचन्द्र, नन्दू पुत्री प्यारचन्द्र हिस्सा 1/2 प्रभूलाल, प्रेमबाई, लीलाबाई, पिता भैरूलाल, झमकूबाई पत्नि स्व.भैरूलाल धाकड हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार रहन आई.सी. आई. बैंक लि.शाखा बेगू हिस्सा झमकू, नन्दू, प्रेमबाई, लीलाबाई, सरजूबाई का

आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लग
87 मेसे	0.475	बीड	1.18
87 मेसे	0.475	बीड	1.18
92 मेसे	0.05	बा.2	0.31
92 मेसे	0.05	बा.2	0.31

94 मेसे	0.23	चा.1	7.84
94 मेसे	0.11	चा.1	4.09
94 मेसे	0.11	चा.1	4.09
95 मेसे	0.22	चा.1	8.86 (पूर्वी भाग)
95 मेसे	0.21	चा.1 (0.08)	(पश्चिम भाग)
		जा.1 (0.13)	2.26

किता-12 कुल

रकबा 3.41 हैक्टर

लगान 45.72

(2) जीवनीबाई पुत्री लखमा धाकड सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
87 मेसे	0.47	बीड	1.16
92 मेसे	0.05	बा.2	0.31
92 मेसे	0.63	बा.2	3.90
94 मेसे	0.23	चा.1	7.84
94 मेसे	0.11	चा.1	4.11
95 मेसे	0.22	चा.1	8.87

किता- 06 कुल रकबा

1.71 हैक्टर

26.19

(3) जीवनीबाई पुत्री लखमा हिस्सा 1/3 सरजूबाई पत्नि स्व. प्यारचन्द, नन्दू पुत्री प्यारचन्द हिस्सा 1/3 प्रभूलाल, प्रेमबाई, लीलाबाई, पिता भेरूलाल, झमकूबाई पत्नि स्व.भेरूलाल धाकड हिस्सा 1/3 सा. देह खातेदार रहन आई.सी.आई.सी आई. बैंक लि.शाखा बेंगळू हिस्सा झमकू नन्दू प्रेमबाई, लीलाबाई, सरजूबाई, का

आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
77	0.11	बाडा	-
93	0.10	आ.चा.	-
94 मेसे	0.03	चा. 1	-


(रास्ता हेतू)

किता- 03 कुल रकबा

0.24 हैक्टर

उक्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे ।
ही बाद विभाजन वादीया को उनके हक हिस्से का कब्जा सिपुर्द किये जाने एवं प्रतिवादीगण
जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का आदेश भी दिया जाता है कि प्रतिवादीगण
वादीया के हक हिस्से की आराजी में दखलंदाजी न तो स्वयं करें न अन्य से करावें साथ ही आराजी
का विभाजन से पूर्व अपने खाते में होने का लाभ उठाते हुए आराजी का हस्तान्तरण न स्वयं करे न
ही अन्य से करावें ।


अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।


(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

क्रमांक/सरिश्ता/2024/175

प्रतिलिपि अंतिम डिक्री की तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दी जाती है ।

दिनांक :- 27/3/24


सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू